

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, जयपुर

ब्लॉक-3 शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग क्रमांक :- जिशिअ / मा / मुख्या / जय / शै.प्र. / फा - विविध / 2019-20 / 793

दिनांक :18.03.2020

समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी जयपुर। समस्त संस्था प्रधान राउमावि / रामावि.....

जिला-जयपुर

विषय:- सरकारी स्कूल के शिक्षकों सहित गैर शिक्षण स्टाफ (NON TEACHING STAFF) एंव अन्य राजकीय कर्मचारियों हेत् आरम्भ आवासीय योजना के संबंध में। प्रसंग:-क्रमांक-मुसप्र / 1558 दिनांक:-18.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राजस्थान आवसन मण्डल की टैंग लाईन "हमारा प्रयास-सबको आवास " की सफल क्रियान्विति के क्रम में नवीन पॉलिशी जारी की गयी है इसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये भी " बुधवार नीलामी उत्सव " के अन्तर्गत 42 शहरों की 50 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक की भारी छुट प्रदान की गई थी। इसके साथ ही अब नवीन पॉलिसी के तहत उक्त सम्प्रतियां 13 वर्षों की 156 आसान किश्तों पर उपलब्ध होगी।

इस नवीन पॉलिसी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये नीचे दिये गये टैक्स मैसेज को शिक्षा विभाग के द्वारा संधारित शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवा दिया गया है। ताकि अधिकाधिक संख्या में शिक्षा विभाग के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों / अधिकारियों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके।

शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रसारित

टैक्स्ट मैसेज

''सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये ''बुधवार नीलामी उत्सव'' के तहत 42 शहरों की 50 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक की मारी छूट और वर्षों की 156 आसान किश्तों पर आवास लेने का सुनहरा अवसर। राज्य सरकार के राजकीय विभागों / राजकीय उपक्रमों / बोर्ड / निगमों में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://urban.rajasthan.gov.in/rhb विजिट कर सकते हैं।"

> जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

सचिव राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।

2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. रक्षित पत्रावली।

र्रेजला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) 3 2020

माध्यमिक, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक :- मुसप्र/1558

दिनांक :-18/3/2·2)

संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप–2 स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः— सरकारी स्कूल के शिक्षकों सहित गैर शिक्षण स्टाफ (NonTeaching Staff) एवं अन्य राजकीय कर्मचारियों हेतु आरम्म आवासीय योजना के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल की टैगलाईन "हमारा प्रयास —सबको आवास" की सफल क्रियान्वित के क्रम में नवीन पॉलिसी जारी की गई है। जैसा आपको विदित है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये भी "बुधवार नीलामी उत्सव" के अन्तर्गत 42 शहरों की 50 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक की मारी छूट प्रदान की गई थी। इसके साथ ही अब नवीन पॉलिसी के तहत उक्त सम्पत्तियाँ 13 वर्षों की 156 आसान किश्तों पर उपलब्ध होगी।

आपसे अनुरोध है कि इस नवीन पॉलिसी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये नीचे दिये गये टैक्स्ट मैसेज को शिक्षा विभाग के द्वारा संघारित शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर अपलोड करायें ताकि अधिकाधिक संख्या में शिक्षा विभाग के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी/अधिकारियों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके।

टैक्स्ट मैसेज:—
"सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये "बुधवार नीलामी उत्सव" के तहत 42 शहरों की 50 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक की भारी छूट और 13 वर्षों की 156 आसान किश्तों पर आवास लेने का सुनहरा अवसर । राज्य सरकार के राजकीय विमागों/राजकीय उपक्रमों/ बोर्ड/निगमों में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी गण अधिक जानकारी के लिए हमारी वेवसाइट http://urban.rajasthan.gov.in/rhb विजिट कर सकते हैं। "

भवदीया,

्रा) (संचिता बिरनोई) सचिव